संख्या : 1909/1–10–2011–33(102)/2011

प्रेषक,

के0के0 सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
फैजाबाद/सुलतानपुर।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ : दिनॉक : 07 जुलाई 2011

विषय : वित्तीय वर्ष 2011–12 में दैवीय आपदा मद में धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कुल धनराशि रू0 **50,00,000/– (रूपये पचास लाख मात्र)** निम्न विवरणानुसार आपके जनपद के सम्मुख अंकित धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क0 सं0	**जनपद का नाम**	**धनराशि (रू0 में)**	**जिलाधिकारी का संदर्भ/पत्र**
1.	फैजाबाद	25,00,000/-	547/सी0आरा0ए0–13(राहत)/2011–12, दिनांक 22/06/2011
2.	सुलतानपुर	25,00,000/-	354/मु0रा0ले0–आपदा–धनावंटन दिनांक 25/06/2011
	योग	**50,00,000/-**	

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03–आपदा राहत निधि से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। अग्रेतर यह सुनिश्चित किया जाय कि आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय केवल दैवी आपदाओं–अग्निकाण्ड, भूस्खलन, बादल फटने, हिम स्खलन, चक्रवात, सूखा, भूकम्प, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट आक्रमण तथा सुनामी से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने के निमित्त किया जाय। सामान्य दुर्घटनाओं–सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, दंगा फसाद, विद्युत आदि के कारण घटनाओं के लिए इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

संख्या :1909/1—10—2011—33(102)/2011, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार—प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2— मण्डलायुक्त फैजाबाद।

3— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

4— वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन लखनऊ को राहत की वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

5— वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

6— वरिष्ठ कोषाधिकारी, फैजाबाद/सुलतानपुर।

7— वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—5 ।

8— राजस्व अनुभाग—10/राजस्व अनुभाग—6/11 ।

9— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द प्रकाश उपाध्याय)

संयुक्त सचिव, राजस्व